

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-10216/6118

दिनांक: 13-1-2022

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार ।

विषय: Diversion of 0.48 ha. of forest land in favour of SDO, Const. Divn., DHBVN, Bhiwani for shifting of 33 KV Tosham-Sangwan line passing over newly constructed Judicial Court Complex Tosham, under forest division and District Bhiwani, Haryana.
Online Proposal No.FP/HR/VELEC/148750/2021
संदर्भ: आपका ऑनलाईन प्रस्ताव दिनांक 5-1-2021 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.48 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने पर प्रदान की जाती है :-

- (i) प्रयोक्ता एजैन्सी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।
- (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30-10-2002, 28-3-2008, 24-4-2008 एवं 9-5-2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 5-2-2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नेट प्रैजैन्ट वैल्यु जमा करवाई जाए ।
- (iii) प्रयोक्ता एजैन्सी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में ही राशि जमा करवाएगी ।
- (iv) "अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश की ओर से प्रमाण पत्र प्राप्त करके तुरन्त इस कार्यालय को भेजें ।

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जाएगा ।

- (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
- (ii) प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जाएंगे एवं काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 11 से अधिक नहीं होगी ।
- (iii) वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।

121

- (iv) प्रस्तावित संचारण लाईन के लिए मार्गाधिकार की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर 15.00 मीटर होगी ।
- (v) प्रत्येक कण्डक्टर के नीचे टेंशन सटरिंगिंग उपकरण लगाने के लिए 3.0 मीटर की चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति दी जाएगी । परन्तु सटरिंगिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जाएगा ।
- (vi) कण्डक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 2.8 मीटर होना चाहिए । कण्डक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जाएगा तथा उपयुक्त फासला छोड़ा जाएगा । बिजली की निकासी बनाए रखने के लिए जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट-छॉट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जाएगा । संचारण लाईन के मार्गाधिकार में नीचे छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा ।
- (vii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी ।
- (viii) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जाएंगे ।
- (ix) प्रयोक्ता एजैन्सी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउण्ड क्लीयरैन्स के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी ।
- (x) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य वन विभाग से विचारविमर्श करके संचारण लाईन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधीय पौधों के रोपण, सृजन व रख-रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध कराएगी ।
- (xi) यदि संचारण लाईन का बनाए जाने वाला हिस्सा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ पर पर्याप्त निकासी पहले ही मौजूद है, वहाँ पर पेड़ नहीं काटे जाएंगे ।
- (xii) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा ।
- (xiii) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।
- (xiv) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा ।
- (xv) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी ।
- (xvi) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके ।
- (xvii) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।
- (xviii) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी ।
- (xix) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजैन्सी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेन्ट के खम्भों द्वारा चिह्नित की जाएंगी । प्रत्येक खम्भे पर क्रम संख्या, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक तथा एक खम्भे से दूसरे खम्भे की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जाएगी ।
- (xx) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।
- (xxi) प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी ।
- (xxii) इस अनुमति अधीन प्रत्यावर्तन अवधि, प्रयोक्ता एजैन्सी के पक्ष में दी जाने वाली लीज अवधि या परियोजना काल, इनमें से जो भी कम हो, के साथ समाप्त हो जाएगी ।
- (xxiii) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय-समय पर लगाई जा सकती है ।
- (xxiv) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप Guidelines 1.21 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980

and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications)-2019 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(xxv) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंन्सी की जिम्मेवारी होगी ।

4. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा । अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

V. Stanur 12/1/2022
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला 11/1/2022

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बेज नं0 24-25, सैक्टर-31-ए, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ।
3. SDO, Const. Divn., DHBVN, Bhiwani.